कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771-2222990 (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक 2669 /जीडीसी/क्रय/2025 रायपुर, दिनांक 17/06/25

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः- निविदा सूचना प्रकाशन करने बाबत्।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर हेतु लगने वाले FPD lab work (फिक्स्ड कृत्रिम दांत), क्राउन एवं ब्रिज लैब कार्य के लिए निविदा सूचना विज्ञापन की प्रति, प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। कृपया इसे प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में एवं राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 17-06-2025
13:25:59
प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771-2222990 (GST- 22JBPS02579D1D2)

==

क्रमांक 2669 /जीडीसी/क्रय/2025 रायपुर, दिनांक 17/06/25

//निविदा सूचना //

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग) के लिये वर्ष 2025-26 में FPD lab work (फिक्स्ड कृत्रिम दांत), क्राउन एवं ब्रिज लैब कार्य के लिए हेतु मोहरबंद निविदायें, संबंधित संस्थाओं से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाईट **www.govtdentalcollegeraipur.in** से डाउनलोड किये जा सकते है। इसके लिये राशि रूपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है अथवा दिनांक 18/07/2024, सायं 5.30 बजे तक राशि रू. 500/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते है, जो वापसी योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	लैब कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)
1	All metal crown Metal ceramic crown Zerconia crown Cast partial denture Cast metal post Implant supported crown (screw retained) Implant supported crown cemented Inlay/onlay metal/non metal	12 लाख	12000.00

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	18/07/2025 समय 5.30 बजे सायंकाल तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	21/07/2025 समय 5.30 बजे सायंकाल तक
निविदा खोलने की तिथि	22/07/2025 समय दोपहर 12.00 बजे
निविदा जमा करने का स्थान	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
निविदा खोलने का स्थान	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 17-06-2025
13:26:53

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771-2222990 (GST- 22JBPS02579D1D2)

===

क्रमांक 2669 /जीडीसी/क्रय/2025 रायपुर, दिनांक 17/06/25

//निविदा प्रपत्र//

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के (प्रोस्थोडोंटिक्स एवं अन्य विभागों) उपयोग के लिये FPD lab work (फिक्स्ड कृत्रिम दांत), क्राउन एवं ब्रिज लैब कार्य के लिए हेतु मोहरबंद निविदायें, संबंधित संस्थाओं से दो सील बंद लिफाफा 1. सुरक्षा निधि एवं प्री क्वालीफिकेशन बिड 2. प्राईज बिड में निविदा आंमत्रित की जाती है। प्री-क्वालीफिकेशन बिड के सफल निविदाकर्ताओं के प्राईज बिड खोले जायेगें।

लिफाफा-1 (सुरक्षा निधि एवं प्री क्वालीफिकेशन बिड)

1. निविदा के साथ रूपये 12000=00 (रू. बारह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक डिमांड ड्राफ्ट/बेंकर्स चेक जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम देय हो, जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता लैब में कम से कम एक प्रोस्थोडोंटिस्ट अथवा डेंटल मेकेनिक (भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से पंजीकृत) कार्यरत् होना अनिवार्य है।
3. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीन सेल्स टेक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट।
4. निविदाकर्ता का पिछले दो वर्षों का टर्न ओव्हर कुल रूपये 10 लाख का, जो सी.ए. अथवा बैंक द्वारा सत्यापित हो संबंधी प्रमाण पत्र ।
5. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में किये गये कार्य का आदेश की प्रति तथा संस्था द्वारा जारी परफारमेंस सर्टिफिकेट। (यदि हो तो।)
6. सामग्रियों की दरें भारतीय रूपयों मे देने होंगे। जिसमें समस्त करें सम्मिलित होंगी केवल GST ही अलग से दिया जावे।
7. निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार्य (Acceptance of all terms & conditions) संबंधी प्रमाण पत्र।

लिफाफा-2 (प्राईज बिड)

1. दर, भारतीय रूपये में निम्न प्रारूप में दिया जाये-

ळैज्ः

क्रं.	विवरण	बेसिक मूल्य	GST %	जीएसटी राशि	कुल कीमत
1	All metal crown				
2	Metal ceramic crown				
3	Zerconia crown				
4	Cast partial denture				
5	Cast metal post				
6	Implant supported crown (screw retained)				
7	Implant supported crown cemented				
8	Inlay/onlay metal/non metal				

निविदा की शर्तें:-

(अ)

1. निविदा की वैधता इकरारनामा दिनाँक से एक वर्ष तक रहेगी तथा आवश्यकतानुसार वैद्यता बढ़ाया जा सकता है।
2. प्रदाय किये जाने वाले FPD lab work (फिक्स्ड कृत्रिम दांत), लैब कार्य (क्राउन एवं ब्रिज) की वारंटी कम से कम एक माह की होनी चाहिए, अन्यथा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. आदेशित FPD work (फिक्स्ड कृत्रिम दांत), लैब कार्य (क्राउन एवं ब्रिज) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के संबंधित विभाग तक पहुँचाना होगा। जिसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है। निविदाकार की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के कार्यालय से निविदा प्रकाशन तिथि से 18/07/2025 के शाम 5.30 बजे तक आवेदन के साथ रूपये 500/-(रूपये पांच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय हो अथवा नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि वापसी योग्य नही होगी।
6. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21/07/2025 सायं 05.30 बजे तक नियत है। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।
7. निविदा दिनांक 22/07/2025 को दोपहर 12.00 बजे प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रजबंधा मैदान रायपुर (छ0ग0) में खोला जायेगा। निविदाकार या उनके प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित हो सकते है।
8. समस्त क्रय प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार शासित होंगे।

(ब) वितरण और स्थापना

(I) निविदाकर्ता को प्रत्येक दिन शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर से मरीज संबंधित लैब कार्य हेतु इम्प्रेशन/कास्ट लेने की व्यवस्था करनी है और उसे फिक्स्ड प्रोस्थेसिस (FPD) का लैब कार्य पूर्ण कर विभाग में बिना देरी के निर्धारित समय पर देना होगा।

(II) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण लैब कार्य (क्राऊन और ब्रिज आदि) देने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की है। किसी भी प्रकार के कारण यथा लॉजिस्टिक्स, परिवहन विलंब, स्ट्राइक/हड़ताल, सामान्य छुट्टियां, स्थानीय छुट्टियां, त्यौहार या किसी अन्य अप्रिय घटना के फलस्वरूप कार्य प्रदान करने में हुई देरी स्वीकार्य नहीं है।

(III) निविदाकर्ता को प्रत्येक मामले में लैब कार्य प्राप्त करते समय फिक्स्ट डेन्टल प्रोस्थेसिस के पूर्ण कार्य को प्रदान करने के लिए आपेक्षित समय-सीमा का उल्लेख करना होगा। इस हेतु 5 दिन से अधिक समय स्वीकार्य नहीं है।

(IV) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर/विभाग द्वारा लैब/आपूर्तिकर्ता को प्रदान किये गये डेन्टल कास्ट/माडल से संबंधित किसी तरह की समस्या यथा - Improper impression, Margin का स्पष्ट न होना, Improper Occlussal clearance अथवा अन्य परेशानी पाये जाने पर लैब/आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को 01 कार्यदिवस के अन्दर सूचित करना होगा, जिससे विभाग उक्त समस्या का निराकरण कर पुनः कास्ट/माडल लैब को उपलब्ध करवा सके। उपरोक्त स्थिति में निर्मित डेन्टल प्रोस्थेसिस उपलब्ध करवाने की समय-सीमा का निर्धारण उक्त समस्याओं के निराकरण उपरांत डेन्टल कास्ट/माडल उपलब्ध करवाये जाने के दिन से होगा।

(V) आपूर्तिकर्ता को खरीददार द्वारा निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ निर्मित फिक्स्ड डेन्टल प्रोस्थेसिस प्रदान करना होगा।

(VI) आपूतिकर्ता को निर्धारित दिनांक में प्रातः 9.00 – 12.00 बजे के मध्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में संबंधित डेन्टल प्रोस्थेसिस उपलब्ध करवाना होगा।

(VII) आपूतिकर्ता द्वारा प्रदत्त डेन्टल प्रोस्थेसिस में मरीज को लगाये जाने के उपरांत 01 माह के भीतर इंटरनल डिफेक्ट के कारण किसी तरह का फ्रेक्चर या चिपिंग होने पर आपूर्तिकर्ता उक्त प्रोस्थेसिस को स्वयं के व्यय पर रिपेयर कर अथवा पुनः निर्माण कर विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा। उक्त संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(स) निरीक्षण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

(I) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नामित प्रतिनिधि अनुबंध के विनिर्देशों और गुणवत्ता नियंत्रण विवरणों की पुष्टि के लिए आदेश में उल्लेखित सामान और सबंधित सेवाओं का निरीक्षण और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।

(II) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर निर्माण प्रक्रिया, पूर्व प्रेषण निरीक्षण या लैब कार्य के किसी भी स्तर के दौरान चरण निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर इन सभी निरीक्षणों का सहारा लेगा या यथोचित आवश्यकतानुसार किसी भी चरण निरीक्षण में शिथिलता भी प्रदान कर सकता है।

(III) आपूर्तिकर्ता प्रासंगिक विनिर्देशित मानको के अनुसार मुख्य कच्चे माल के इन्वाइस एवं टेस्ट रिपोर्ट के साथ चरण निरीक्षण के लिए अर्द्धनिर्मित उत्पाद उपलब्ध करायेगा।

(IV) थोक (Bulk) निर्माण के पूर्व आपूर्तिकर्ता निरीक्षक/टीम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रोटोटाइप/वास्तविक तैयार नमूना प्रस्तुत करेंगे/भेजेंगे। नमूनों की मंजूरी कारीगरी एवं परिष्करण के संबंध में होगी और यह निरीक्षण वस्तुओं/लैब कार्य के याद्यच्छिक (Random) परीक्षण प्राप्त करने लिए खरीदार/उपयोगकर्ता के अधिकारों के प्रति पूर्व आग्रह के बिना या वास्तविक पेशकश के रूप में होगा। खरीदार/निरीक्षण टीम द्वारा दूसरी बार नमूना उपलब्ध करवानें में आपूर्तिकर्ता के विफलता की स्थिति मे खरीदार को अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

(V) अनुबंध अवधि मे किसी भी समय निरिक्षक/टीम को अनुबंध मे उल्लेखित गुणवत्ता की संतुष्टि हेतु निरीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता लैब मे स्वतंत्र एवं निःशुल्क पहुंच रहेगी। निरीक्षण हेतु निरीक्षक/टीम को निर्माण की जा रही डेन्टल प्रोस्थेसिस या उससे जुडी सभी तरह के निर्माण सामाग्री की उपलब्धता आपूर्तिकर्ता को अपने लैब परिसर अथवा निरीक्षण टीम द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य स्थान पर करवानी होगी । उपरोक्त संबंध मे महाविद्यालय/निरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय आपूर्तिकर्ता के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। पुनः निरीक्षण की शर्ते यथावत लागु रहेगी।

(VI) परीक्षण हेतु निरीक्षक/टीम द्वारा मांगी गई सभी सामाग्री, उपकरण, मानव संसाधन एवं सहायता आपूर्तिकर्ता द्वारा आपुर्तिकर्ता के लैब परिसर पर उपलब्ध करवानी होगी। जिसके सम्पूर्ण व्यय के वहन की जिम्मेदारा आपूर्तिकर्ता की होगी। यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त जिम्मेदारी मे असफल रहता है तो निरीक्षक/टीम अपने निर्णयानुसार एक या सभी प्रकार के डेन्टल प्रोस्थेसिस के परीक्षण हेतु आपूर्तिकर्ता के परिसर के अतिरिक्त किसी भी अन्य उचित जगह का चुनाव करेगा/करेगी तथा इन सभी के लिए तथा निरीक्षक/टीम का लिखित प्रमाणपत्र, कि आपूर्तिकर्ता परीक्षण हेतु सुविधाए प्रदान करने मे विफल रहा है, अंतिम होगा।

(VII) आपूर्तिकर्ता अपने परिसर के अलावा निरीक्षक/टीम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्थान पर सभी सामान/मटेरियल स्वयं के ब्यय पर उपलब्ध करवायेगा। जो निरीक्षक/टीम द्वारा विशेष परीक्षण या ऐसे परीक्षण, जो आपूर्तिकर्ता के परिसर मे संभव न हो, के लिए मांगा गया हो।

(VIII) निरीक्षण/टीम को परीक्षण मे प्रयुक्त सभी वस्तुओं को समग्र रूप से या भाग को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। जिसे वह उचित समझता या समझती हैं, और आपूर्तिकर्ता को निरीक्षक/टीम द्वारा अपनायी गई परीक्षण विधि का किसी भी आधार पर विरोध करने का हक नहीं होगा।

(IX) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर या इसके निरीक्षको द्वारा अनुबंध के संबंध मे प्रारम्भिक/अंतिम निरीक्षण मे स्वीकार किये जाने वाले सामान/लैब वर्क को बाद मे अस्वीकार करने का अधिकार खरीदार/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को होगा।

(X) खरीदार/निरीक्षक को गंतव्य पर तैयार डेन्टल प्रोस्थेसिस प्राप्त करने के बाद ही याद्दच्छिक (Random) नमुना पद्धति के माध्यम से पुनः निरीक्षण हेतु नमुना प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सभी आपुर्ति निर्माता के प्रमाण पत्र के साथ होनी चाहिए, कि सामग्री (तैयार प्रोस्थेसिस) अनुबंध विनिर्देशको के अनुरूप है।

उपरोक्त के अलावा सामान गंतव्य स्थल पर निरीक्षक या शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा खारिज किया जाता है या आपूर्तिकर्ता डिलीवरी के निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक आपूर्ति करने में असफल रहता है, तो खरीदार को इसके लिए स्वतंत्रता होगी:-

(अ) अस्वीकार किये गये सामान को तुरंत बदलने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी लेकिन किसी भी स्थिति में यह अवधि अस्वीकृति की तारीख से 05 दिनों से अधिक नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता ऐसा स्थानापन्न सामान की सभी लागत का वहन स्वमेव करेगा तथा किसी भी अतिरिक्त भुगतान हकदार नहीं होगा।

(ब) अस्वीकार किये गये सामान के बदले पुनः अनुबंध के समान विवरण वाले सामान को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने हेतु निर्णय लेने का अधिकार खरीदार को होगा तथा आपूर्तिकर्ता सामान के अगले किस्त की आपूर्ति को प्रभावित किये बिना यथाशीघ्र अस्वीकार किये गये स्थानापन्न सामान की आपूर्ति अपने व्यय पर करेगा।

(स) अस्वीकार किये गये सामान के किस्त को खरीदार निरस्त कर सकेगा अथवा समान विवरण के सामान की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता को उसके जोखिम एवं व्यय पर प्राधिकृत कर सकेगा।

(द) साथ ही निरीक्षक के पास अधिकारी होगा:-

1. किसी भी सामान या उसका हिस्सा, जो निरीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किया जाता है, को प्रमाणित करें कि वह विनिर्माण के किसी असंतोषजनक तरीका अपनाने अथवा खराब मटेरियल के उपयोग के कारण अनुबंध के अनुसार नहीं है।
2. जमा किये गये सामान का विवरण के अनुसार नहीं होने कारण अस्वीकार करे।
3. निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई सभी वस्तुओं अथवा उसके भाग को, जो अनुबंध के अनुसार या उनके विवेकानुसार संतोषजनक नहीं है, को समग्र रूप से अस्वीकार करे।
4. निरीक्षण या परीक्षण में हुए सभी व्यय की मांग आपूर्तिकर्ता से करें। परीक्षण की लागत का आकलन लैब द्वारा निजी व्यक्ति/व्यक्तियों हेतु समान कार्य के लिए लगाये गये दर के आधार पर किया जायेगा। यद्यपि सामान स्वीकार किये जाने की स्थिति में ही समस्त व्यय का वहन खरीदार द्वारा किया जायेगा।

अस्वीकृति के संबंध में निरीक्षक/निरीक्षण टीम का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रदायक पर बाध्यकारी होगा

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 17-06-2025
13:27:57

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

शपथ पत्र का प्रारूप
(रूपये 50/- नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर)

मैं ....जो कि फर्म..
पता .... के प्रोपराईटर (कंपनी/फर्म के हैसियत) है और फर्म की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है यह शपथ पत्र द्वारा शपथ पूर्वक यह प्रमाणित करते है कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक दिनांक कार्य का नाम ....इत्यादि के निविदा के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जो जानकारी एवं प्रमाण पत्र/अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह सत्य एवं सही है। एतद् संबंधी जानकारियों अभिलेखो एवं प्रमाण पत्रो की सत्यता के लिए मै पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगाः-

1. यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज पूर्णत सत्य एवं प्रमाणित है।
2. यह कि मेरे
   (अ) प्रोसेसिंग फीस एवं ई.एम.डी. के रूप में जमा की गई एफ.डी.आर/डिमाड ड्राफ्ट अन्य संबंधित दस्तावेज जो बैंक के द्वारा प्रदाय किये गये है वे बैंक से प्रमाणित है।
   (ब) वित्तीय अर्हताये एवं वार्षिक टर्नओव्हर की जानकारी सही है।
   (स) विभिन्न भौतिक अर्हताओ की जानकारी सही है।
3. मै भारत सरकार/अन्य राज्यों के राज्य सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में काली सूची में सम्मिलित नहीं हूं/है या डिबार नही किया गया हूं/है।
4. यह कि आपके विभाग/संस्था में मेरे/हमारी फर्म/कंपनी के सदस्यों का कोई निकट रिश्तेदार कार्यरत नहीं है।
5. यह कि मेरे/हमारे/फर्म के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण कही भी पंजीबद्ध नही है।
6. यह कि निविदा प्रपत्र में अंकित दरें भारतीय रूपयों में है।
7. निविदा की समस्त नियम/शर्ते स्वीकार्य है।

प्रो./फर्म

नोटरी द्वारा सत्यपित

हस्ताक्षर मय सील

File No. GENS/4621/2025-GOVERNMENT DENTAL COLLEGE SECTION (Computer No. 56756)
Generated from eOffice by Mr. Tikeshwar Singh, STORE KEEPER (GOVERNMENT DENTAL COLLEGE)-6, STORE KEEPER (GOVERNMENT DENTAL COLLEGE), MEDICAL EDUCATION DEPARTME

//अनुबंध//

प्रथम पक्ष :— प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
द्वितीय पक्ष :—

कार्यादेश क्रमांक :— **क्रमांक /जीडीसी/क्रय/2025 रायपुर, दिनांक / /** को उभय पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित शर्तों/आधारों पर अनुबंध कर रहे है। यह इकरारनामा दिनांक ..../............./..................से लागू होगा।

(अ)

1. कार्यादेश की वैधता इकरारनामा होने के दिनांक से 02 वर्ष अथवा नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए रहेगी।
2. प्रदाय किये जाने वाले FPD Work Metal Ceramic Crown, Zerconia/All Ceramic and Screw Retain Implant Crown and etc. की वारंटी कम से कम एक माह की होनी चाहिए, अन्यथा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. आदेशित FPD Work Metal Ceramic Crown, Zerconia/All Ceramic and Screw Retain Implant Crown and etc. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के संबंधित विभाग तक पहुँचाना होगा। जिसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. समस्त क्रय प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार शासित होंगे।

(ब) **<u>वितरण और स्थापना</u>**

(I) प्रदायकर्ता को प्रत्येक दिन शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर से मरीज संबंधित लैब कार्य हेतु इम्प्रेशन/कास्ट लेने की व्यवस्था करनी है और उसे फिक्स्ड प्रोस्थेसिस (FPD) का लैब कार्य पूर्ण कर विभाग में बिना देरी के निर्धारित समय पर देना होगा।

(II) निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण लैब कार्य (क्राऊन और ब्रिज आदि) देने की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की है। किसी भी प्रकार के कारण यथा लॉजिस्टिक्स, परिवहन विलंब, स्ट्राइक/हड़ताल, सामान्य छुट्टियां, स्थानीय छुट्टियां, त्यौहार या किसी अन्य अप्रिय घटना के फलस्वरूप कार्य प्रदान करने में हुई देरी स्वीकार्य नहीं है।

(III) प्रदायकर्ता को प्रत्येक मामले में लैब कार्य प्राप्त करते समय फिक्स्ट डेन्टल प्रोस्थेसिस के पूर्ण कार्य को प्रदान करने के लिए आपेक्षित समय–सीमा का उल्लेख करना होगा। इस हेतु 5 दिन से अधिक समय स्वीकार्य नहीं है।

(IV) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर / विभाग द्वारा लैब / प्रदायकर्ता को प्रदान किये गये डेन्टल कास्ट / माडल से संबंधित किसी तरह की समस्या यथा – Improper impression, Margin का स्पष्ट न होना, Improper Occlusal clearance अथवा अन्य परेशानी पाये जाने पर लैब / आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग / शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को 01 कार्यदिवस के अन्दर सूचित करना होगा, जिससे विभाग उक्त समस्या का निराकरण कर पुनः कास्ट / माडल लैब को उपलब्ध करवा सके। उपरोक्त स्थिति में निर्मित डेन्टल प्रोस्थेसिस उपलब्ध करवाने की समय–सीमा का निर्धारण उक्त समस्याओं के निराकरण उपरांत डेन्टल कास्ट / मॉडल उपलब्ध करवाये जाने के दिन से होगा।

(V) आपूर्तिकर्ता को खरीददार द्वारा निर्धारित प्रारूप में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार ही गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ निर्मित फिक्स्ड डेन्टल प्रोस्थेसिस प्रदान करना होगा।

(VI) आपूर्तिकर्ता को निर्धारित दिनांक में प्रातः 9:00 – 12:00 बजे के मध्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में संबंधित डेन्टल प्रोस्थेसिस उपलब्ध करवाना होगा।

(VII) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त डेन्टल प्रोस्थेसिस में मरीज को लगाये जाने के उपरांत 01 माह के भीतर इंटरनल डिफेक्ट के कारण किसी तरह का फ्रेक्चर या चिपिंग होने पर प्रदायकर्ता उक्त प्रोस्थेसिस को स्वयं के व्यय पर रिपेयर कर अथवा पुनः निर्माण कर विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा। उक्त संबंध में **"संबंधित विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी अधिकारी"** शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(स) निरीक्षण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

(I) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नामित प्रतिनिधि अनुबंध के विनिर्देशों और गुणवत्ता नियंत्रण विवरणों की पुष्टि के लिए आदेश में उल्लेखित सामान और सबंधित सेवाओं का निरीक्षण और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।

(II) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर निर्माण प्रक्रिया, पूर्व प्रेषण निरीक्षण या लैब कार्य के किसी भी स्तर के दौरान चरण निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर इन सभी निरीक्षणों का सहारा लेगा या यथोचित आवश्यकतानुसार किसी भी चरण निरीक्षण में शिथिलता भी प्रदान कर सकता है।

(III) आपूर्तिकर्ता प्रासंगिक विनिर्देशित मानको के अनुसार मुख्य कच्चे माल के इन्वाइस एवं टेस्ट रिपोर्ट के साथ चरण निरीक्षण के लिए अर्द्धनिर्मित उत्पाद उपलब्ध करायेगा।

(IV) थोक (Bulk) निर्माण के पूर्व आपूर्तिकर्ता निरीक्षक / टीम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रोटोटाइप / वास्तविक तैयार नमूना प्रस्तुत करेंगे / भेजेंगे। नमूनों की मंजूरी कारीगरी एवं परिष्करण के संबंध में होगी और यह निरीक्षण वस्तुओं / लैब कार्य के याछृच्छिक (Random) परीक्षण प्राप्त करने लिए खरीदार / उपयोगकर्ता के अधिकारों के प्रति पूर्व आग्रह के बिना या वास्तविक पेशकश के रूप में होगा। खरीदार / निरीक्षण टीम द्वारा दूसरी बार नमूना उपलब्ध करवानें में आपूर्तिकर्ता के विफलता की स्थिति में खरीदार को अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

(V) अनुबंध अवधि मे किसी भी समय निरिक्षक / टीम को अनुबंध मे उल्लेखित गुणवत्ता की संतुष्टि हेतु निरीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता लैब मे स्वतंत्र एवं निःशुल्क पहुंच रहेगी। निरीक्षण हेतु निरीक्षक / टीम को निर्माण की जा रही डेन्टल प्रोस्थेसिस या उससे जुडी सभी तरह के निर्माण सामाग्री की उपलब्धता आपूर्तिकर्ता को अपने लैब परिसर अथवा निरीक्षण टीम द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य स्थान पर करवानी होगी। उपरोक्त संबंध मे महाविद्यालय / निरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय आपूर्तिकर्ता के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। पुनः निरीक्षण की शर्ते यथावत लागु रहेगी।

(VI) परीक्षण हेतु निरीक्षक / टीम द्वारा मांगी गई सभी सामाग्री, उपकरण, मानव संसाधन एवं सहायता आपूर्तिकर्ता द्वारा आपुर्तिकर्ता के लैब परिसर पर उपलब्ध करवानी होगी। जिसके सम्पूर्ण व्यय के वहन की जिम्मेदारा आपूर्तिकर्ता की होगी। यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त जिम्मेदारी मे असफल रहता है तो निरीक्षक / टीम अपने निर्णयानुसार एक या सभी प्रकार के डेन्टल प्रोस्थेसिस के परीक्षण हेतु आपूर्तिकर्ता के परिसर के अतिरिक्त किसी भी अन्य उचित जगह का चुनाव करेगा / करेगी तथा इन सभी के लिए तथा निरीक्षक / टीम का लिखित प्रमाणपत्र, कि आपूर्तिकर्ता परीक्षण हेतु सुविधाए प्रदान करने मे विफल रहा है, अंतिम होगा।

(VII)आपूर्तिकर्ता अपने परिसर के अलावा निरीक्षक / टीम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्थान पर सभी सामान / मटेरियल स्वयं के ब्यय पर उपलब्ध करवायेगा। जो निरीक्षक / टीम द्वारा विषेष परीक्षण या ऐसे परीक्षण, जो आपूर्तिकर्ता के परिसर मे संभव न हो, के लिए मांगा गया हो।

(VIII)निरीक्षण / टीम को परीक्षण मे प्रयुक्त सभी वस्तुओं को समग्र रूप से या भाग को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। जिसे वह उचित समझता या समझती हैं, और आपूर्तिकर्ता को निरीक्षक / टीम द्वारा अपनायी गई परीक्षण विधि का किसी भी आधार पर विरोध करने का हक नहीं होगा।

(IX) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर या इसके निरीक्षको द्वारा अनुबंध के संबंध मे प्रारम्भिक / अंतिम निरीक्षण मे स्वीकार किये जाने वाले सामान / लैब वर्क को बाद मे अस्वीकार करने का अधिकार खरीदार / शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को होगा।

(X) खरीदार / निरीक्षक को गंतव्य पर तैयार डेन्टल प्रोस्थेसिस प्राप्त करने के बाद ही याद्यच्छिक (Random) नमुना पद्धति के माध्यम से पुनः निरीक्षण हेतु नमुना प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सभी आपुर्ति निर्माता के प्रमाण पत्र के साथ होनी चाहिए, कि सामग्री (तैयार प्रोस्थेसिस) अनुबंध विनिर्देशको के अनुरूप है।

उपरोक्त के अलावा सामान गंतव्य स्थल पर निरीक्षक या शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के द्वारा खारिज किया जाता है या आपूर्तिकर्ता डिलीवरी के निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक आपूर्ति करने में असफल रहता है, तो खरीदार को इसके लिए स्वतंत्रता होगी :–

अ). अस्वीकार किये गये सामान को तुरंत बदलने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी लेकिन किसी भी स्थिति में यह अवधि अस्वीकृति की तारीख से 05 दिनों से अधिक नहीं होगी। आपूर्तिकर्ता ऐसा स्थानापन्न सामान की सभी लागत का वहन स्वमेव करेगा तथा किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

(ब). अस्वीकार किये गये सामान के बदले पुनः अनुबंध के समान विवरण वाले सामान को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने हेतु निर्णय लेने का अधिकार खरीदार को होगा तथा आपूर्तिकर्ता सामान के अगले किस्त की आपूर्ति को प्रभावित किये बिना यथाशीघ्र अस्वीकार किये गये स्थानापन्न सामान की आपूर्ति अपने व्यय पर करेगा।

(स) अस्वीकार किये गये सामान के किस्त को खरीदार निरस्त कर सकेगा अथवा समान विवरण के सामान की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता को उसके जोखिम एवं व्यय पर प्राधिकृत कर सकेगा।

(द) साथ ही निरीक्षक के पास अधिकारी होगा :–

- कि किसी भी सामान या उसका हिस्सा, जो निरीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किया जाता है, को प्रमाणित करें कि वह विनिर्माण के किसी असंतोषजनक तरीका अपनाने अथवा खराब मटेरियल के उपयोग के कारण अनुबंध के अनुसार नहीं है।
- जमा किये गये सामान का विवरण के अनुसार नहीं होने कारण अस्वीकार करे।
- निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई सभी वस्तुओं अथवा उसके भाग को, जो अनुबंध के अनुसार या उनके विवेकानुसार संतोषजनक नहीं है, को समग्र रूप से अस्वीकार करे।
- कि निरीक्षण और/या परीक्षण में हुए सभी व्यय की मांग आपूर्तिकर्ता से करें। परीक्षण की लागत का आकलन लैब द्वारा निजी व्यक्ति/व्यक्तियों हेतु समान कार्य के लिए लगाये गये दर के आधार पर किया जायेगा। यद्यपि सामान स्वीकार किये जाने की स्थिति में ही समस्त व्यय का वहन खरीदार द्वारा किया जायेगा।

अस्वीकृति के संबंध में निरीक्षक/निरीक्षण टीम का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रदायक पर बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष	हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ0ग0)	
गवाह :–	संबंधित फर्म का गवाह :–
1	1
2	2